न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/3/2022

थानाधिकारी पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–मुवीन पुत्र नूरदीन जाति मेव निवासी नैवाना थाना पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाणा (वाहन मालिक)

2–अकील पुत्र सलीम जाति मेव निवासी जाडौली थाना पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाणा

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत मु.न. 71/2022 में जप्त वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 व एचआर 73 8457 के जप्ती के बाबत।

उपस्थित :–

1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2–श्री मुकीम खान अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 14.9.2022**

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आशय का पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.4.2022 को दो पिकअप गाड़ी रजिस्टर नम्बर एचआर 55वी4402 व एचआर 73 8457 में गौवश भरकर गोकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा ले जारहे थे, पुलिस द्वारा उक्त वाहन मय गौवंश को जप्त किया गया , जप्त शुदा गौवंश की मेडिकल रिपोर्ट व पीएमआर रिपोर्ट प्राप्त की गई। पूछताछ में मुवीन ने बताया कि मैं गाड़ी नं. एचआर 55वी4402 चला रहा था व आकिल गाड़ी नम्बर एचआर 73 8457 चला आरहा था। मुवीन व आकिल से पूछताछ की गयी दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया पूछताछ नोट पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी प्रकरण हाजा में जप्त शुदा पिकअप गाडियों से

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्राप्त समस्त कागजातों के आधार पर वाहन स्वामी 1–मुल. मुवीन पुत्र पुरदीन जाति मेव उम्र 27 साल निवासी नैवाना थाना पुन्हाना जिला नूह मेवात 2– आकिल पुत्र सलीम जाति मेव उम्र 23साल निवासी जाडोली थाना पुन्हाना हरियाणा के खिलाफ धारा 3,5,6/8 आरबी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक मुकीम खान उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र की नकल दी गई तथा प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपना जबाब साक्ष्य वगे. प्रस्तुत करने को कहा गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करने की प्रार्थना की गई। बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि दिनांक 29.4.2022 को पुलिस को सूचना मिलने पर ग्रंम खोहरा के बाहर भुआपुर के पास दो पिकअप बोलोरो गौवंश को राजस्थान से हरियाणा ले जाती हुई जप्त की गई। पुलिस ने मौके पर वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 जिसमें 5 गौवंश जिनें तीन गाय व एक बछड़ा जीवित व एक मृत गाय पडी हुई मिली, तथा अन्य पिकअप गाड़ी नम्बर एच.आर 73 8457 जो पल्टी हुई थी तीन गाय एक बछिया व एक बछडा जीवित कुल पांच गौवंश बेरहमी से भरकर राजस्थान से हरियाणा बिना परमिशन के लेजाते हुये जप्त किये गये। पुलिस थाना ने अप्रार्थी द्वारा गौंवश को बिना परमिशन राज्य से बाहर गौकसी के लिये हरियाणा ले जाते हुये जप्त किया गया है। थाना में इनके खिलाफ एफआईआर/71/2022 दर्ज की गई। गौवंश में परिवहन करते हुये उक्त वाहन जप्त किये गये हैं, जप्त वाहनों को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया किया कि प्रार्थी नूरदीन पुत्र ईशाक निवासी ग्रांम रनियाला पटाकपुर रिथथ तहसील नगीना जिला मेवात नूह जरिये मुखत्यारखास आकिल पुत्र सलीम तहसील जाडौली जिला नूँह वाहन संख्या एचआर 73/8457 का मालिक है,। उक्त वाहन को पुलिस थाना कैथवाडा द्वारा उक्त प्रकरण में जप्त किया गया है, वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहनों के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अब कोई आवश्यकता नहीं है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिया जावे।

.....3

जिला कलक्टर
नूंहपुर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया।

1–क्या गौवंश को राजस्थान की सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाया जा रहा था?
2–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने में लिप्त थे?
3–क्या अप्रार्थी0 के पास गोवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी कैथवाड़ा, जिला भरतपुर (राजस्थान) ने उक्त वाहनों को गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये दिनांक 29.4.2022को जप्त किया गया है। मौके पर जप्त वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 जिसमें 5 गौवंश जिनें तीन गाय व एक बछड़ा जीवित व एक मृत गाय पडी हुई मिली, तथा अन्य पिकअप गाड़ी नम्बर एच.आर 73 8457 जो पल्टी हुई थी में तीन गाय एक बछिया व एक बछडा जीवित कुल पांच गौवंश बेरहमी से रस्सी से बांध कर पटकी हुई थी, उक्त गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से परिवहर कर हरियाणा ले जाया रहा था। जप्त वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 व गाड़ी नम्बर एच.आर 73 8457 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये गये हैं।

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him. "

योग्य अभिभाषक वाहन मालिकान की ओर से सिवाय इसके की वाहन को ड्राईवर चला रहा था, उनका कोई कसूर नहीं है। परन्तु योग्य अभिभाषक वाहन मालिक ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य की सीमा में गौंवश की तस्करी परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जा सके।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

3 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को बिना सक्षम अधिकारी के परमिट/स्वीकृति के बिना निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट से राजस्थान सीमा से बाहर गौवंश को परिवहन करने की स्वीकृति/परमिट के बारे पूछा गया तो योग्य अभिभाषक वाहन मालिकों की ओर से गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर परिवहन करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति हमारे समक्ष पेश नहीं की गई है, और कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं करना बताया।

उक्त **अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना** में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है.....।"

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किये गये। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा 6(ए) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये उक्त जप्त वाहनों द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये क्रमशः 1–वाहन संख्या एचआर 73 8457 पर जुर्माना (Fine) राशि तीन लाख रुपये (बीमा पालिसी का आधार पर) 2– वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 पर जुर्माना (Fine) राशि तीन लाख रुपये (बीमा पालिसी का आधार पर) लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया

.....5

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर 1–वाहन संख्या एचआर 73 8457 पर जुर्माना (Fine) राशि तीन लाख रुपये 2–वाहन संख्या एचआर 55वी 4402 पर जुर्माना (Fine) राशि तीन लाख रुपये राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजर ने म्याद उक्त जप्त दोनों वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेंगें। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर